

(22)

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./बैतूल/भू.रा./2017/3281 विरुद्ध आदेश दिनांक 23.06.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 30/अपील/2016-17.

1. मुन्नालाल आ. पूरनलाल पाल

2. भोंदू आ. नन्दा घंघारे

दोनों निवासीग्राम बजपुर, तह. व जिला बैतूल

.....आवेदकगण

विरुद्ध

श्रीमती चैतीबाई पत्नी लक्ष्मण

निवासी ग्राम बजपुर, तह. व जिला बैतूल

.....अनावेदक

श्री के.एल. सोनी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री यशवंत साहू, अभिभाषक, अनावेदक

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 6/11/19 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 23.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्र. 1 मुन्नालाल द्वारा मौजा बाजपुर स्थित भूमि खसरा नं. 59/3 रकबा 0.030 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.12.2011 को सीमांकन किया गया, इस सीमांकन के विरुद्ध अनावेदिका द्वारा अपर कलेक्टर, बैतूल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण पर कार्यवाही कर दिनांक 26.09.2012 को आदेश पारित कर सीमांकन दिनांक 14.12.2011 विधिसंगत नहीं होने से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदक






मुन्ना द्वारा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैतूल के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सीमांकन दिनांक 14.12.2011 के अनुसार आधिपत्य दिलाये जाने हेतु पेश किया, जिस पर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 द्वारा विवादित स्थल का सीमांकन दिनांक 11.01.2014 को कराया गया, जिसके अनुसार अनावेदिका चैतीबाई पत्नी लक्ष्मण द्वारा आवेदक मुन्ना की जमीन पर कब्जा नहीं पाया गया। अतः दिनांक 22.03.2014 को निर्णय पारित कर प्रस्तुत वाद निरस्त किया गया। उक्त निर्णय के आधार पर अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, बैतूल के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर भूमि खसरा नं. 59/1 रकबा 0.027 हैक्टेयर के 0002 हैक्टेयर एवं 0.004 हैक्टेयर भूमि से आवेदकगण मुन्नालाल एवं भोंदू का अवैध कब्जाहटाये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 17/अ-70/15-16 दर्ज कर दिनांक 30.12.2016 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 250 आवेदकगण के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही कर दिनांक 25.02.2017 को आदेश पारित करते हुए तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.12.2016 निरस्त कर अपील स्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदिका द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 123.06.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25.02.2017 निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।


3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

- (1) द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष पेश तर्कों का ध्यान दिये बगैर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का समुचित मनन और परिशीलन किये बगैर आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
- (2) द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि शीघ्र प्रकरण का निराकरण होने से कार्यवाही दूषित नहीं होती है, जैसा कि अनावेदकगण ने द्वितीय अपील में निवेदन किया था, इस तरह शीघ्र निराकरण होने के आधार पर पेश की गई द्वितीय अपील बलहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य थी, किंतु द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इस आधार पर अपील स्वीकार करने में भूल की है।
- (3) द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में भूल की है कि सीमांकन दिनांक 14.12.2011 प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2011 को अपर कलेक्टर, बैतूल द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण सीमांकन दिनांक 14.12.2011 और प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2011 के




द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है और ऐसा निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित करने में भूल की है।

- (4) द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में भूल की है कि प्रथम अपर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 द्वारा जारी निर्णय दिनांक 20.03.2014 का पालन करते हुए पारित आदेश दिनांक 30.12.2016 विधिसंगत है, वास्तव में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष तथ्यों का समुचित परिशीलन किये बगैर निकाला गया है और प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2017 निरस्त करने में भारी भूल की है।
- (5) द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि वास्तव में विचारण न्यायालय तहसीलदार के समक्ष आरंभ की गई कार्यवाही ही नियमानुकूल न होकर विधि विरुद्ध है, जिस तथा कथित सीमांकन के आधार पर उक्त कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, वास्तव में वह सीमांकन कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत दर्शित प्रावधानों और नियमों के अनुकूल नहीं थी न तो किसी पक्षकार ने उक्त संहिता की धारा 129 के अंतर्गत कोई आवेदन पेश किया था और न ही सीमांकन हेतु कोई शुल्क जमा किया गया था, बल्कि उक्त सीमांकन जिसके आधार पर धारा 250 की कार्यवाही प्रारंभ की गई, सीमांकन कार्यवाही न होकर व्यवहार न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंबित व्यवहार वाद में अन्वेषण द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु आवश्यक सग्रहीत साक्ष्य थी और यह साक्ष्य सीमांकन नहीं कही जा सकती, इसलिए उक्त तथाकथित व्यवहार न्यायालय की साक्ष्य को सीमांकन मानकर पारित किया गया, आदेश दिनांक 30.12.2016 एवं उक्त व्यवहार न्यायालय की साक्ष्य को सीमांकन मानकर पंजीबद्ध किया गया राजस्व प्रकरण ही प्रक्रिया के विपरीत था, क्योंकि प्रकरण जिस सीमांकन कार्यवाही के आधार पर पेश किया गया था, वह कार्यवाही सीमांकन कार्यवाही न होकर व्यवहार न्यायालय की साक्ष्य का एक भाग था, जिसके आधार पर संहिता की धारा 250 की कार्यवाही पंजीबद्ध की जाना संभव ही नहीं था, इसलिए पेश प्रकरण विचारण न्यायालय को निरस्त करना चाहिए था, किंतु उन्होंने दिनांक 30.12.2016 के आदेश द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से पंजीबद्ध प्रकरण को स्वीकार करके तथ्य एवं विधि की स्पष्ट भूल की थी, इसलिए पारित आदेश दिनांक 30.12.2016 को प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने अपास्त करते हुए आदेश पारित करने में कोई भूल नहीं की है, इसलिए पेश की गई द्वितीय अपील प्रथम दृष्टया ही स्वीकार किये जाने योग्य न होने से निरस्त किये जाने योग्य थी, किंतु द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इन




आवेदकगण की आरे से उनके समक्ष पेश संक्षिप्त लिखित तर्कों, किये गये मौखिक विस्तृत तर्कों, पेश न्याय दृष्टांतों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निराकृत न करते हुए द्वितीय अपील स्वीकार कर तथ्य एवं विधि की भारी भूल की हैं, इसलिए यह निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 23.06.2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

- (1) व्यवहार न्यायाधीश द्वारा दी गई फाईंडिंग उनके निर्णय की कंडिक 14 में है, जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा कराये गये सीमांकन कार्यवाही दिनांक 11.01.2014 की कार्यवाही जो प्रदर्श अंकित है। सीमांकन प्रतिवेदन जो प्रदर्श सी-2, नक्शा प्रदर्श सी-3, सीमांकन प्रदर्श सी-4, स्थल पंचनामा प्रदर्श सी-5 है, के अनुसार मुन्नालाल एवं भोंदू का अवैध आधिपत्य चैतीबाई की भूमि के रकबा 0.002 हैक्टेयर एवं 0.004 हैक्टेयर पर अवैध पाया गया, जिसे हटाने हेतु तहसीलदार द्वारा उभयपक्षों को सुनवाई पश्चात् मुन्ना लाल और भोंदू का अवैध कब्जा हटाये जाने का आदेश दिया गया।
- (2) व्यवहार न्यायालय द्वारा कराये गये सीमांकन 11.01.2014 आज भी यथावत है, उसके विरुद्ध मुन्नालाल एवं भोंदू द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में कोई अपील/रिवीजन नहीं किया और उक्त कार्यवाही मुन्नालाल एवं भोंदू पर बंधनकारी है।
- (3) धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है तथा माननीय न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित किया गया है।
- (4) सिविल न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है और मान्य है।
- (5) अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील का निराकरण मात्र तीन पेशियों में कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील मुन्ना लाल और भोंदू द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध पेश की थी, वह अवधि बाधित थी, क्योंकि संशोधित संहिता के तहत प्रथम अपील की समयसीमा 30 दिवस है। अपील लगभग 38 दिवस बाद पेश की है। 8 दिन देरी से पेश करने के संबंध में अवधि विधान की धारा 5 के संबंध में आवेदन पेश नहीं किया, अपील ज्ञापन में कोई विश्लेषण नहीं किया और शपथ पत्र भी नहीं दिया।

इस प्रकार सर्वप्रथम अनुविभागीय अधिकारी को ग्राह्यता के बिंदु पर समयसीमा देखी जानी थी, जो उनके द्वारा नहीं देखी गई, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य है। इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राह्यता को सुझे बिनाही अंतिम तर्क हेतु नियत कर दी गई और बगैर बहस सुने ही आदेश हेतु नियत कर दी गई। सब मिलाकर दिनांक 07.02.2017 को अपील पेश की गई और 14.02.2017 को अंतिम बहस हेतु एवं 20.02.2017 को आदेश हेतु नियत कर दी गई। अर्थात् 15 दिवस में अपील का निराकरण कर दिया गया।



- (6) आवेदक मुन्ना लाल द्वारा अपने रिवीजन में यह कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है कि निम्न न्यायालय द्वारा किन विधिक बिंदुओं का गलत निष्कर्ष निकाला है। अर्थात् कौन से बात संहिता के प्रावधान के विपरीत है, क्योंकि रिवीजन में मात्र विधिक बात ही कही जा सकती है, तथ्यात्मक नहीं और रिवीजन में कही गई सभी बातें तथ्यात्मक कही हैं, कोई विधिक बिंदु नहीं बतलाया है।
- (7) व्यवहार न्यायाधीश द्वारा कराये गये सीमांकन के संबंध में यदि कोई आपत्ति थी तो वह तत्संबंध में आपत्ति पेश करते या फिर सिविल न्यायालय के आदेश को चुनौती दी जानी थी एवं अपनी ओर से पुनः सीमांकन कराया जा सकता था। इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए इन सब प्रक्रम पर आवेदन को सीमांकन के संबंध में चुनौती देने का वैधानिक अधिकार नहीं है।
- (8) निगरानी का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 59/1 के भाग 0.002 हैक्टेयर पर मुन्नालाल का अवैध कब्जा एवं 0.004 हैक्टेयर पर भोंदू वल्द नंदा का अवैध कब्जा था, जिसे तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 317/बी-121/2016-17 के अनुसार भोंदू और मुन्ना लाल का अवैध कब्जा हटाकर चैतीबाई को दिनांक 01.08.2017 को कब्जा दिया जा चुका है और आवेदिका बतौर मालिक भूमि स्वामी की हैसियत से शांति पूर्वक काबिज है। उक्त स्थिति में अब कोई रिवीजन प्रचलन योग्य नहीं बचा है।

अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। व्यवहार न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय

द्वारा पारित आदेश में दिनांक 11.01.2014 को किये गये विवादित स्थल के सीमांकन में आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा पाया गया, जिसे हटाये जाने के आदेश देने में तहसीलदार ने कोई त्रुटि नहीं की है। तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर से आवेदकगण का कब्जा हटाया जाकर उचित एवं वैधानिक आदेश पारित किया गया, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। अपर आयुक्त द्वारा भी तहसीलदार के उक्त आदेश की सही पुष्टि की गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।



(मनोज गोर्वाल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक प्र.क्र.पीबीआर/निग./बैतूल/भू.रा./2017/3281

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-06-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में पारित अंतिम आदेश दिनांक 6-2-2018 में सभी पृष्ठ पर लिपिकीय त्रुटिवश प्रकरण क्र. पीबीआर/निग./बैतूल/भू.रा./2017/3281 अंकित हो गया है जबकि उक्त प्रकरण का क्रमांक पीबीआर/निग./बैतूल/भू.रा./ 2017/3821 है । अतः पारित आदेश दिनांक 6-2-2018 में प्रत्येक पृष्ठ पर प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./बैतूल/भू.रा./ 2017/3281 के स्थान पर प्र.क्र.पीबीआर/निग./बैतूल/भू.रा./2017/3821 पढ़ा जाये । यह आदेशिका उक्त आदेश का अंग होगी । अतः इसे उक्त आदेश के साथ संलग्न किया जाये ।</p>	

  
2033

  
अध्यक्ष